न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

अपील सं. 12/2016/अपील

1. कमलादेवी व्यस्क
2. सुमन देवी व्यस्क
3. रामेश्वरी देवी व्यस्क

समस्त पुत्रियां सुखदेव जाति अहीर नि0गण ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलार्थीनीगण

ब ना म

1. कोयली देवी पत्नी स्व. सुखदेव उम्र व्यस्क जाति अहीर नि0 ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. ग्राम पंचायत, रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, राणोली

— रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 492 दिनांक 05.09.2007
विरूद्ध ग्राम पंचायत, राणोली अं.धारा 75 आर.एल.ऐक्ट

उपस्थिति—

1. श्री बंशीधर बाज्या वकील अपीलार्थीनीगण की ओर से
2. श्री आनन्द राड़, वकील रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से

निर्णय दिनांक— 28.08.2017

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट्स एवं रेस्पो. सं. 1 की वंशावली निम्न प्रकार से है—

सुखदेव पुत्र भूरा (फौत)

परमेश्वर(पुत्र)	कोयली (पत्नी)	कमला(पुत्री)	सुमन(पुत्री)	रामेश्वरी(पुत्री)
(नाऔलाद फौत)	(रेस्पो0 सं. 1)	(अपीलांट सं. 1)	(अपीलांट सं. 2)	अपीलांट सं. 3)

ग्राम रानोली प.मं. राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमियां ख.नं. 573 ता 577, 579 ता 583किता 10 कुल रकबा 3.00 है0 अवस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमियों में अपीलांट्स एवं रेस्पो. सं. 1 का हक व हिस्सा पैत्रिक रहा है। अपीलांट्स के पैत्रिक हक व हिस्से की खातेदारी पूर्व में अपीलांट्स के पिता सुखदेव पुत्र भूरा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है उक्त सुखदेव का स्वर्गवास हो जाने पर उपरोक्त भूमियों में उसकी विरासत का ना.करण सं. 492 दिनांक 05.09.2007 को ग्राम

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ

Scanned by CamScanner

पंचायत, रानोली द्वारा भरा गया जिसमें सुखदेव की पत्नी कोयली देवी (रेस्पो. सं. 1) व सुखदेव के पुत्र परमेश्वरलाल ने तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत, राणोली से आपसी मिलीभगत करके विरासत का ना.करण अपने अकेलों के नाम से ही भरवा लिया जिसकी अपीलांट्स को कोई जानकारी तक नहीं होने दी। जबकि इनके समान ही अपीलांट्स का भी पैत्रिक संपदा में समान हक व अधिकार है। कालांतर में सुखदेव के पुत्र व अपीलांट्स के भाई परमेश्वरलाल भी नाऔलाद फौत हो चुका है जिसके वारिस व उतराधिकारी अपीलांस व रेस्पो. सं. 1 ही है। ग्राम पंचायत राणोली ने कतई गलत रूप से अपीलांट्स का हिस्सा उक्त वर्णित आराजियात में दर्ज नहीं किया और सिर्फ रेस्पो. सं. 1 व अपीलांट्स के भाई परमेश्वर लाल का हिस्सा उक्त वर्णित आराजियात में दर्शाते हुए उपरोक्त वर्णित अपीलाधीन ना.करण सं. 492 दिनांक 05.09.2007 को तस्दीक कर दिया जो प्रथमदृष्टया ही कतई गलत व प्रभावहीन एवं निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत रानोली ने ना.करण सं. 492 को भरते समय मृतक खातेदार के सभी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान को मध्य नजर रखते हुए ना.करण नहीं भरा एवं अपीलांट्स को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर प्रार्थीयागण को उनके पैत्रिक हक व हिस्से की कृषि आराजियात से वंचित रखा है इसलिए अपीलाधीन ना.करण खारिज होने योग्य है। अपीलाधीन ना.करण बाबत आज तक अपीलांट्स को जानकारी नहीं हो पाई। अपीलांट्स अपने पैत्रिक हक व हिस्से की कृषि संपदा पर सदैव से ही निर्बाध रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। आज से करीब 3–4 रोज पूर्व रेस्पो. सं. 1 ने अपीलांट्स को उनके हिस्से से बेदखल करने व बेचान करने की धमकी दी व एलानिंया कहा कि वह जमीन तो मेरे व मेरे मृतक पुत्र परमेश्वरलाल के नाम से है आप इसको खाली करो तो अपीलांट्स ने हल्का पटवारी रानोली से संपर्क किया व समस्त रिकार्ड की नकलें दिनांक 02.06.2016 को मिलने पर अविलम्ब यह अपील पेश किया जाना लाजिम हुआ है। अपील पेश करने में हुआ विलम्ब जान बुझकर नहीं बल्कि रिकार्ड की जानकारी नहीं रहने से कानूनी अनभिज्ञता की वजह से हुआ है जो कि क्षमा किये जाने योग्य है एवं इसके लिए अपीलांट्स द्वारा आवेदन दफा 5 अवधि परिसीमा अधिनियम के तहत अलग से पेश कर अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अपीलांट्स मृतक खातेदार सुखदेव की विधिक वारिस व उतराधिकारी है। अपीलाधीन ना.करण तस्दीक करते समय सभी जायंता वारिसान को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हे इसलिए अपीलाधीन ना.करण सं. 492 दिनांक 05.09.2007 विधि विरूद्ध व एकपक्षीय होने से निरस्त फरमाया जाना अति आवश्यक व न्यायोचित है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन ना.करण सं. 492 दिनांक 05.09.2007 बतस्दीक ग्राम पंचायत राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को निरस्त फरमाया जावें। अपील के समर्थन में ना.करण की सत्य प्रति, वारिस प्रमाण पत्र व जमाबंदी की नकल पेश की गई।

(2)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 ता 2 की ओर से वकील श्री आनन्द राड़ ने वकालतनामा पेश किया गया। वकील रेस्पो. ने अपील आपतियां पेश नहीं कर सीधे बहस अपील की जाने का निवेदन किया गया।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर विवादित ना.करण सं. 492 दिनांक 05.09.2007 बतस्दीक ग्राम पंचायत, राणोली निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स मृतक सुखदेव के विधिक प्रथम श्रेणी के वारिस होने से इनका नाम दर्ज किया जाना उचित है। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम पंचायत, राणोली द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की गई है। इसके विपरीत वकील रेस्पो0 सं. 1 का कथन है कि मृतक सुखदेव की लड़कियों की शादी होने से वे अपने ससुराल रहने से रेस्पो. सं. 1 व मृतक परमेश्वर लाल वारिस होने से ग्राम पंचायत, राणोली द्वारा उनके नाम ना.करण खोला गया है जो सही है। अपील अपीलांट्स खारिज फरमायी जावें।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 492 दि0 05.09.2007 बतस्दीक ग्राम पंचायत, राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा स्वीकृत किया गया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन मियाद अधिनियम का पेश किया गया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पेश किया गया है इसलिए विलम्ब की अवधि को कण्डोन किया जाता हैं। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम पंचायत, राणोली द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की गई है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स मृतक सुखदेव व परमेश्वरलाल के विधिक वारिसान है एवं इनके नाम रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 492 दिनांक 05.09.2007 बतस्दीक ग्राम पंचायत, राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मृतक सुखदेव के विधिक वारिसान के नाम नये सिरे से ना.करण भरवाकर तस्दीक करें।

5. यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner